भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1166

सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक)

गिग कामगारों को पेंशन लाभ

†1166. श्री ए. राजाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से गिग कामगारों को पेंशन लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अनुमानित गिग कामगारों की संख्या कितनी है और इस पेंशन योजना के लिए एग्रीगेटर्स के अलावा सरकार द्वारा किए जा रहे अंशदान का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का गिग कामगारों और अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को पीएफ, ग्रेच्युटी, वार्षिक अवकाश, मातृत्व अवकाश जैसे अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफ़ॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल किया गया है, जो दिनांक 21.11.2025 से लागू हुई है।

इस संहिता में, गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपायों के निर्माण का प्रावधान है। इस संहिता में जीवन और निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण, शिक्षा आदि से संबंधित मामलों पर असंगठित कामगारों के लिए उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है। संहिता में कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने का प्रावधान है।

नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट "भारत की उभरती गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था" के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफ़ॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जो वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है।

****